छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 20–70/2004/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–2/2002/छः/11 दिनांक 07.01.2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम – 2002' में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त भण्डार क्रय नियम में,

(एक) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये:–

(अ) *"परंतु, परिशिष्ठ–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा।"*

(ब) *"परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट–3 जारी किया जायेगा।"*

(दो) नियम 4.3.1 की अंतिम पंक्ति में रूपये *"5000"* को रूपये *"10,000"* (रूपये दस हजार) से प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) नियम 4.3.2 की द्वितीय पंक्ति में रूपये *"5001 से 50,000"* को रूपये *"10,001 से 1,00,000"* (रूपये दस हजार एक से रूपये एक लाख) से प्रतिस्थापित किया जाए।

....2.

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएं :-

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।"

(पांच) नियम 4.3.3 में जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य कॉलम में उल्लेखित "रूपये 50,001 से 2.00 लाख" को "रूपये 1,00,001 से 2.00 लाख" (रूपये एक लाख एक से रूपये दो लाख) से प्रतिस्थापित किया जाये ।

(छः) नियम 4.3.3 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएः-

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई-बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।"

(सात) नियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 13.3 अंतःस्थापित किया जायेः-

13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

—Sd—
(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner